आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर शस्त्रवाद सं 116/14	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
9/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **रणधीर कुमार सिंह, पिता-अमरनाथ सिंह, ग्राम-सम्हौता, थाना-कोपा, जिला-सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2308/गो0 6.6.14 के द्वारा प्रेषित आवेदक रणधीर कुमार सिंह, पिता-अमरनाथ सिंह, ग्राम-सम्हौता, थाना-कोपा, जिला-सारण के द्वारा एक एन.पी.वी. रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र के के जॉचोपरान्त प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा वताया गया कि वे आई.सी.आई.सी. बैंक, छपरा ब्रांच में सेल्स ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। इनके द्वारा फील्ड वर्क किया जाता है। पूर्व में खाता खोलवाने के लिए जब वे भेल्दी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के बुलाने पर गए तो कुछ लोगों के द्वारा इनका सामान एवं पैसा छीन लिया गया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गयी। इस संबंध में आवेदक के द्वारा भेल्दी थाना में कांड सं0 19/13 दिनांक 31.1.13 धारा-341/342/323/379/385/504/506/34 भादवि के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, कोपा के ज्ञापांक डी.आर. 7777 दिनांक 8.8.14 के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 3635/गो0 दिनांक 30.8.14 के द्वारा आवेदन पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किया गया। पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक आई.सी.आई.सी. बैंक, छपरा में सेल्स ऑफीसर के पद पर कार्यरत हैं तथा इनका फील्ड ड्यूटी है। पूर्व में कार्य के दौरान आवेदक को पासबुक खोलवाने के नाम पर भेल्दी थाना क्षेत्र में बुलवाकर जबरन गाड़ी	

पर बैठा लिया गया एवं मोबाइल, चेक, रूपया छीनने के बाद बैंक की गुप्त बातों को बताने के लिए दबाव दिया गया। आवेदक के द्वारा भेल्दी थाना में कांड सं० 19/13 दिनांक 31.1.13 धारा–341/342/323/379/385/504/506/34 भादवि के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। इनके विरूद्व थाना अभिलेख में किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं है। पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा उक्त प्रतिवेदन को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के साथ पूर्व में अपहरण, सामान छीनने एवं धमकी देने से संबंधित घटना घट चुकी है। इस संबंध में आवेदक के द्वारा भेल्दी थाना में कांड सं० 19/13 दिनांक 31.1.13 धारा–341/342/323/379/385/504/506/34 भादवि के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष, कोपा एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक रणधीर कुमार सिंह, पिता–अमरनाथ सिंह, ग्राम–सम्हौता, थाना–कोपा, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक पिस्टल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1050 दिनांक 12/12/14

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
12/12/14